



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09022024-251966
CG-DL-E-09022024-251966

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 552]
No. 552]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 2024/माघ 20, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024/MAGHA 20, 1945

कोयला मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

का.आ. 582(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4119(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2023, जो भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 19 सितम्बर, 2023 में प्रकाशित की गई थी, उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 161.74 हेक्टेयर (लगभग) या 399.659 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वक्षेपण करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट की गई उक्त भूमि के किसी भाग में कोयला अभिप्राप्त है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 161.74 हेक्टेयर (लगभग) या 399.659 एकड़ (लगभग) माप वाली भूमि में या उस पर के सभी अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है;

टिप्पण 1 : इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक धारक संख्यांक सी-1(ई)/III/एफयूआर/1223/1006, तारीख 12 दिसम्बर, 2023 का निरीक्षण कलेक्टर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, स्कोप मीनार, पांचवीं मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092 के कार्यालय में

या महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व विभाग), कोल इस्टेट, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) - 440 001 के कार्यालय में किया जा सकेगा।

टिप्पण 2 : उपरोक्त अधिनियम की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध करना है :-

“8. अर्जन की बाबत आपत्तियाँ.- (1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में, जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के जारी किए जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के अधीन यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी, कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है, या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में किसी हित का दावा करने का हकदार हो, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।”

टिप्पण 3: केन्द्रीय सरकार, कोयला नियंत्रक का कार्यालय, स्कोप मीनार, पांचवीं मंजिल, कोर-2, लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का. आ. 2519, तारीख 27 मई, 1983 जो भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 11 जून, 1983 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

अनुसूची

मकरधोकरा-I विस्तार ओपनकास्ट खान

उमरेर क्षेत्र

जिला नागपुर (महाराष्ट्र)

[रेखांक धारक संख्या सी-1(ई)/III/एफयूआर/1223/1006, तारीख 12 दिसम्बर, 2023]

सभी अधिकार

क्रम सं.	ग्राम का नाम	पटवारी सर्किल संख्यांक	तहसील	जिला	भूमि का वर्णन				कुल (हेक्टर में)	टिप्पणी
					काश्तकारी	सरकारी	वन	रेलवे		
1	कानव्हा	22	उमरेर	नागपुर	5.43	0.00	0.00	2.01	7.44	भाग
2	कटारा	22	उमरेर	नागपुर	5.28	0.70	0.00	9.33	15.31	भाग
3	बोपेश्वर	17	उमरेर	नागपुर	73.79	0.08	0.00	0.00	73.87	भाग
4	गणपावली	17	उमरेर	नागपुर	58.28	1.35	0.00	5.49	65.12	भाग
कुल :					142.78	2.13	0.00	16.83	161.74	भाग

कुल क्षेत्र = 161.74 हेक्टर (लगभग) या 399.659 एकड़ (लगभग)

1. ग्राम कानव्हा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

125, 126, 127 और 200.

रेलवे भूमि : 132(भाग).

2. ग्राम कटारा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक :

20, 21, 22, 23 और 24.

सरकारी भूमि: रोड.

रेलवे भूमि: 5

3. ग्राम बोपेश्वर अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक:

32(भाग), 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 और 76.

सरकारी भूमि: नाला.

4. ग्राम गणपावली के अधिसूचित क्षेत्र के प्लॉट संख्यांक:

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 (भाग), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55 और 56.

सरकारी भूमि: रोड.

रेलवे भूमि: 50

सीमा वर्णन :

क-ख : रेखा, ग्राम बोपेश्वर में बिंदु 'क' से प्रारंभ होती है, प्लॉट संख्या 43 की बाहरी सीमा के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है और उत्तर-पूर्व दिशा में गुजरते हुए नाले को पार करती है और बिंदु 'ख' पर मिलती है।

ख-ग : रेखा बिंदु 'ख' से प्रारंभ होती है, पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए प्लॉट संख्या 46, 57, 56 और 55 की बाहरी सीमा से ग्राम बोपेश्वर और गणपावली की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'ग' पर मिलती है।

ग-घ : रेखा बिंदु 'ग' से प्रारंभ होती है, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए प्लॉट संख्या 55 की बाहरी सीमा से ग्राम बोपेश्वर और गणपावली की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'घ' पर मिलती है।

घ-ड. : रेखा बिंदु 'घ' से प्रारंभ होकर पूर्व में प्लॉट संख्या 25 और 21 की बाहरी सीमा से गुजरती है और ग्राम गणपावली में बिंदु 'ड.' पर मिलती है।

ड.-च : रेखा बिंदु 'ड.' से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या 21, 22 और 23 की बाहरी सीमा से गुजरती है और बिंदु 'च' पर मिलती है।

च-छ : रेखा बिंदु 'च' से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ती हुई में प्लॉट संख्या 28 की बाहरी सीमा से गुजरती है और बिंदु 'छ' पर मिलती है।

छ-ज : रेखा बिंदु 'छ' से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा में प्लॉट संख्या 28 और 30 की बाहरी सीमा से गुजरती है और बिंदु 'ज' पर मिलती है।

ज-झ : रेखा बिंदु 'ज' से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या 33 की बाहरी सीमा से गुजरती है और बिंदु 'झ' पर मिलती है।

झ-ञ : रेखा बिंदु 'झ' से प्रारंभ होती है, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए प्लॉट संख्या 33 की बाहरी सीमा से गुजरती है और ग्राम गणपावली और कानव्हा की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'ञ' पर मिलती है।

ज-ट : रेखा बिंदु 'ज' से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए प्लाट संख्या 125, 126 और 127 की बाहरी सीमा से गुजरती है और ग्राम गणपावली और कानव्हा की सम्मिलित सीमा रेखा पर बिंदु 'ट' पर मिलती है।

ट-ठ : रेखा बिंदु 'ट' से प्रारंभ होती है, दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्राम कानव्हा में प्रवेश करती है और प्लाट संख्या 127 की बाहरी सीमा से गुजरती है और ग्राम कानव्हा की सम्मिलित में बिंदु 'ठ' पर मिलती है।

ठ-ड : रेखा बिंदु 'ठ' से प्रारंभ होकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ती है तथा रेलवे ट्रैक को पार करती है और बिंदु 'ड' पर मिलती है।

ड-ढ : रेखा, ग्राम कानव्हा में बिंदु 'ड' से प्रारंभ होती है, रेलवे भूमि की बाहरी सीमा से लगकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है, ग्राम गणपावली में प्रवेश करती है और रेलवे भूमि की बाहरी सीमा रेखा को लगकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है और ग्राम गणपावली और कटारा की सम्मिलित सीमा को लगते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है और बिंदु 'ढ' पर मिलती है।

ढ-ण : रेखा बिंदु 'ढ' से प्रारंभ होकर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए रेलवे भूमि की बाहरी सीमा से गुजरती है और ग्राम कटारा में बिंदु 'ण' पर मिलती है।

ण-त : रेखा बिंदु 'ण' से प्रारंभ होती है, रेलवे भूमि की बाहरी सीमा से लगकर पश्चिम की ओर बढ़ती है और बिंदु 'त' पर मिलती है।

त-थ : रेखा बिंदु 'त' से प्रारंभ होती है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है और रेलवे ट्रैक को पार करती है और बिंदु 'थ' पर मिलती है।

थ-द : रेखा बिंदु 'थ' से प्रारंभ होकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए रेलवे भूमि की बाहरी सीमा से लगकर, ग्राम कटारा में बिंदु 'द' पर मिलती है।

द-ध : रेखा बिंदु 'द' से प्रारंभ होकर उत्तर दिशा में गुजरती है, प्लाट संख्या 24 और 20 की बाहरी सीमा के साथ सड़क को पार करती है, फिर बोपेश्वर ग्राम में प्रवेश करती है और प्लाट संख्या 72 और 73 की बाहरी सीमा के साथ उत्तर दिशा में गुजरती है और ग्राम बोपेश्वर में बिंदु 'ध' पर मिलती है।

ध-न : रेखा बिंदु 'ध' से प्रारंभ होकर पश्चिम की ओर 76 की बाहरी सीमा से गुजरती है, और बिंदु 'न' पर मिलती है।

न-प : रेखा बिंदु 'न' से प्रारंभ होकर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए प्लाट संख्या 76 और 75 की बाहरी सीमा से गुजरती है, फिर प्लाट संख्या 32 की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम दिशा में गुजरती है और बिंदु 'प' पर मिलती है।

प-फ : रेखा बिंदु 'प' से प्रारंभ होकर उत्तर दिशा में बढ़ते हुए प्लाट संख्या 32, 45 और 44 की बाहरी सीमा से गुजरती है, फिर प्लाट संख्या 43 की बाहरी सीमा के साथ पश्चिम दिशा में गुजरती है और बिंदु 'फ' पर मिलती है।

फ-क : रेखा बिंदु 'फ' से प्रारंभ होकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए प्लाट संख्या 43 की बाहरी सीमा से लगकर ग्राम बोपेश्वर में बिंदु 'क' पर मिलती है।

[सं. 43015/12/2023-एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2024

S.O. 582(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 4119 (E), dated the 19th September, 2023 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 19th September, 2023, the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 161.74 hectares (approximately) or 399.659 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to the said notification;

And, whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 161.74 hectares

(approximately) or 399.659 acres (approximately) and all rights in or over the said lands described in the Schedule appended hereto;

Note 1: The plan bearing number C-I(E)/III/FUR/1223/1006, dated the 22nd December, 2023 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Nagpur (Maharashtra) or in the office of the Coal Controller, Scope Minar, 5th Floor, Core-2, Laxmi Nagar, Delhi-110092 or in the office of the General Manager, Western Coalfields Limited (Revenue Department), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur, (Maharashtra)-440001.

Note 2: Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:-

“8. Objections to acquisition.- (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

Explanation.- It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

Note 3: The Coal Controller, Scope Minar, 5th Floor, Core-2, Laxmi Nagar, Delhi-110092 has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act *vide* notification number S.O. 2519, dated the 27th May, 1983, published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 11th June, 1983.

SCHEDULE

Makardhokra- I Expansion Opencast Mine

Umrer Area

District Nagpur (Maharashtra)

[Plan bearing number C-I(E)/III/FUR/1223/1006, dated the 22nd December , 2023]

All Rights :

Sl. No.	Name of Village	Patwari Circle number	Tahsil	District	Description of land				Total (in hectares)	Remarks
					Tenancy	Government	Forest	Railway		
1.	Kanwa	22	Umrer	Nagpur	5.43	0.00	0.00	2.01	7.44	Part
2.	Katara	22	Umrer	Nagpur	5.28	0.70	0.00	9.33	15.31	Part
3.	Bopeshwar	17	Umrer	Nagpur	73.79	0.08	0.00	0.00	73.87	Part
4.	Ganpawli	17	Umrer	Nagpur	58.28	1.35	0.00	5.49	65.12	Part
Total:					142.78	2.13	0.00	16.83	161.74	

Total Area: 161.74 hectares (approximately)
or 399.659 acres (approximately)

1. Plot numbers to be acquired in village Kanwa:

Tenancy land: 125,126, 127 and 200 .

Railway land: 132(Part).

2. Plot numbers to be acquired in village Katara:

Tenancy land :20, 21, 22, 23 and 24.

Government Land: Road.

Railway land: 5.

3. Plot numbers to be acquired in village Bopeshwar:

Tenancy land:

32(Part), 43, 44, 45, 46, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 and 76.

Government land: Nallah.

4. Plot numbers to be acquired in village Ganpawli:

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 (Part), 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55 and 56.

Government Land: Road.

Railway land: 50.

Boundary description :

A-B: Line starts from point 'A' in village Bopeshwar, passes in East direction along the outer boundary of Plot Number 43, then passes in North-East direction, crosses Nallah and meets at point 'B'.

B-C: Line starts from point 'B', passes in East direction along the outer boundary of Plot Number 46, 57, 56 and 55 and meets at point 'C' on the common village boundary of village Bopeshwar and Ganpawli.

C-D: Line starts from point 'C', passes in South direction along the outer boundary of Plot Number 55 and meets at point 'D' on the common village boundary of village Bopeshwar and Ganpawli.

D-E: Line starts from point 'D', passes in East direction along the outer boundary of Plot Number 25 and 21, and meets at point 'E' in village Ganpawli.

E-F: Line starts from point 'E', passes in South direction along the outer boundary of Plot Number 21, 22 and 23 and meets at point 'F'.

F-G: Line starts from point 'F', passes in East direction along the outer boundary of Plot Number 28 and meets at point 'G'.

G-H: Line starts from point 'G', passes in South direction along the outer boundary of Plot Number 28 and 30 and meets at point 'H'.

H-I: Line starts from point 'H', passes in East direction along the outer boundary of Plot Number 33 and meets at point 'I'.

I-J: Line starts from point 'I', passes in South direction along the outer boundary of Plot Number 33 and meets at point 'J' on the common village boundary of village Ganpawli and Kanwa.

J-K: Line starts from point 'J' passes in East direction along outer boundary of Plot Number 125, 126 and 127 and meets at point 'K' on the common village boundary of village Ganpawli and Kanwa.

K-L: Line starts from point 'K' passes in South direction, enters Kanwa village along the outer boundary of Plot Number 127 and meets at point 'L' in village Kanwa.

L-M: Line starts from point 'L' passes in South direction crossing railway track and meets at point 'M'.

M-N: Line starts from point 'M' in Kanwa village, passes in West direction along the outer boundary of railway land, enters Ganpawli village, passes in West direction along the outer boundary of Railway land and then passes in North direction and meets at point 'N' on the common village boundary of village Ganpawli and Katara.

N-O: Line starts from point 'N', passes in West direction along the outer boundary of Railway land and meets at point 'O' in village Katara.

O-P: Line starts from point 'O', passes in West direction along the outer boundary of Railway land and meets at point 'P'.

P-Q: Line starts from point 'P', passes in North direction crossing the Railway track and meets at point 'Q'.

Q-R: Line starts from point 'Q', passes in East direction along the outer boundary of Railway land and meets at point 'R' in village Katara.

R-S: Line starts from point 'R', passes in North direction, crossing road along outer boundary of Plot Number 24 and 20, then enters in Bopeshwar village and passes in North direction along the outer boundary of Plot Number 72 and 73 and meets at point 'S' in village Bopeshwar.

S-T: Line starts from point 'S', passes in West direction along the outer boundary of Plot Number 76 and meets at point 'T'.

T-U: Line starts from point 'T', passes in North direction along the outer boundary of Plot Number 76 and 75, then passes in West direction along outer boundary of Plot Number 32 and meets at point 'U'.

U-V: Line starts from point 'U', passes in North direction along the outer boundary of Plot Number 32, 45 and 44, then passes in West direction along the outer boundary of Plot Number 43 and meets at point 'V'.

V-A: Line starts from point 'V', passes in North direction along the outer boundary of Plot Number 43 and meets at point 'A' in village Bopeshwar.

[No. 43015/12/2023-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy.